

बिहार और नेपाल के बीच उद्योग, व्यापार एवं पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय विकास पर संगोष्ठी का आयोजन



दीप प्रञ्चलित कर संगोष्ठी का उद्घाटन करते माननीय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री श्याम रजक। उनकी बाँधी ओर क्रमशः नेपाल दूतावास के चार्ज डी-अफेयर्स श्री के. एन. अधिकारी एवं कंसुलेट जेनरल ऑफ इंडिया श्रीमती अंजू रंजन। दाँधी ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुपर पटवारी एवं श्री शशि मोहन।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉर्मर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉर्मर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं दिल्ली स्थित नेपाल राज दूतावास के साथ मिलकर दिनांक 24 फरवरी 2014 को चैम्बर प्रांगण में "बिहार और नेपाल के बीच उद्योग, व्यापार एवं पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय विकास" पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी का उद्घाटन माननीय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री श्याम रजक ने दीप प्रञ्चलित कर किया। उन्होंने इस प्रकार के आयोजन के लिए चैम्बर, फिकड़ी एवं नई दिल्ली स्थित नेपाली राज दूतावास के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि नेपाल एवं बिहार के बीच व्यापार एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है और हर संभव सहयोग के लिए तत्पर है।

मंत्री महोदय ने कहा कि नेपाल और बिहार में अत्यंत धनिष्ठ ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संबंध रहे हैं। भगवान राम अयोध्या के थे तो माता जानकी जनकपुर की। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल स्थित लुंबीनी में हुआ तो उनका कर्म क्षेत्र बिहार रहा है और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बिहार के गया में हुई। नेपाल की जनता ने भी अब लोकशाही में विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि लुंबीनी को गया होते हुए सारनाथ से कुशीनगर तक मिलाने से ही बौद्ध सर्किट पूरा होगा। उन्होंने स्वीकार किया कि बॉर्डर सड़कों की हालत खराब है और इसके लिए दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि बिहार एवं नेपाल के बीच सदियों पुराने संबंध हैं। दोनों को एक दूसरे के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सभी रुकावटों एवं बाधाओं को दूर करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि नेपाली क्षेत्र स्थित पुरानी तकनीक पर आधारित चावल मिलों का आधुनीकिकरण होना चाहिए जैसा कि बिहार में हो चुका है। इससे नेपाल को बहुत लाभ होगा।

श्रीमती अंजू रंजन नेपाल स्थित बीरगंज में कंसुलेट जेनरल ऑफ इंडिया ने इस अवसर पर मंत्री महोदय से आग्रह किया कि वॉर्डर की सड़कों में सुधार कराने की कृपा करें तथा नेपाल राज दूतावास (दिल्ली) के अधिकारियों से आग्रह किया कि भारत ने नेपाल को "Most Favoured Nation" का दर्जा दे रखा है तो नेपाल भी भारत को ये दर्जा दे। राजनीतिक अस्थिरता के चलते बहुत सारे समझौते होने बाकी हैं। रेल परिवहन उपलब्ध नहीं है, बिजली की भारी समस्या है, जब कि नेपाल के पास एक लाख मेंगावाट पन-बिजली उत्पन्न करने की क्षमता है। साउथ इस्ट एशिया से जो पर्यटक बुद्ध के जन्म स्थली लुंबीनी आते हैं, वे बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के स्थान भी आना चाहते हैं परन्तु लुंबीनी और गया के बीच परिवहन सुगम नहीं होने के कारण वे लुंबीनी से ही लौट जाते हैं और यही स्थिति साउथ इस्ट एशिया से गया आने वाले पर्यटकों की होती है। यदि लुंबीनी और गया के बीच परिवहन सुगम हो जाए तो बिहार

एवं नेपाल में पर्यटकों की संख्या में अप्रत्याशित बुद्धि हो सकती है। इसी तरह अयोध्या को जनकपुर से जोड़ा जाना चाहिए।

नवी दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावास के चार्ज-डी-अफेयर्स श्री के० एन० अधिकारी ने नेपाल जल संसाधन एवं पन-बिजली उत्पादन पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए बिहारी कंपनियों को इस क्षेत्र में निवेश का आग्रह किया।

पर्यटन विभाग के संयुक्त सचिव श्री श्याम किशोर मिश्रा ने कहा कि भारत एवं नेपाल मिलकर ही आर्यवर्त कहलाता है।

नेपाली दूतावास के आर्थिक मंत्री, श्री बी० पी० लामसाल ने नेपाल में पर्यटन, पन-बिजली उत्पादन, व्यापार एवं निवेश की असीम संभावनाओं पर "Power Presentation" के माध्यम से विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल सरकार की औद्योगिक नीति एवं व्यापार नीति अत्यंत उदार है और बिहार से निवेशकों को इसका लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने पन-बिजली, पर्यटन, खान, विनिर्माण

एवं औद्योगिक निर्माण क्षेत्रों की विशेष रूप से चर्चा की, जिनमें निवेश की भारी संभावना है।

उपस्थित व्यक्तियों में से श्री राजकुमार पटवारी, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रतिनिधि, श्री गणेश खेमका, श्री शशांक कुमार, श्री प्रदीप जैन, डा० नवल किशोर सिंह आदि ने बिहार एवं नेपाल के बीच होने वाले व्यापार में हो रही दिक्कतों का विस्तार से वर्णन किया। नेपाली दूतावास के आर्थिक मंत्री, श्री लामसाल ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे इन कठिनाईयों को दूर करने का हर-संभव प्रयास करेंगे।

इस संगोष्ठी में फिक्की के उप-निदेशक (साउथ एशिया), श्री अमित कुमार, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व अध्यक्ष श्री डी० पी० लोहिया सहित बड़ी संख्या में सदस्यगण एवं मीडिया बंधु उपस्थित थे। अन्त में चैम्बर के महामंत्री श्री ए. के. पी. सिंहा के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् संगोष्ठी सम्पन्न हुई।

उत्कृष्ट कार्यों के लिए चैम्बर द्वारा सम्मानित हुए 22 पुलिसकर्मी



चैम्बर का प्रतीक चिह्न देकर पुलिसकर्मी को सम्मानित करते जोनल आई.जी. श्री सुशील एम. खोपड़े। उनकी बाँयों ओर सीनियर एस.पी. श्री मनु महाराज। दाँयों ओर क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन, उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

• चैम्बर ने मोमेंटो व चादर देकर किया सम्मानित • जोनल आईजी व एसएसपी ने दिया सुरक्षित वातावरण का आश्वासन

राजधानी पुलिस की एक महीने की उपलब्धियों को गिनाते हुए बिहार चैम्बर ऑफ कॉर्मस एंड इंडस्ट्रीज ने मंगलवार 25 फरवरी 2014 को 22 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। चैम्बर के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल, जोनल आई.जी. सुशील एम. खोपड़े एवं सीनियर एस.पी. मनु महाराज ने पुलिसकर्मियों को मोमेंटो व चादर देकर हौसला आफर्जाई की। चैम्बर की ओर से सम्मान पाने वाले पुलिसकर्मियों को गृह उपयोगी तोहफा भी दिया गया।

इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने कहा कि राजधानी पुलिस ने हाल में हुई 21 लाख की लूट का पर्दाफाश करने के साथ लूटी गई रकम व लुटेरों की गिरफ्तारी, अपहृत शिवम खंडेलवाल की बरामदगी व दो अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी, व्यवसायियों से बिंदु सिंह के नाम पर रंगदारी मांगने वाले रवि ठाकुर की गिरफ्तारी आदि कांडों का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया है, जिससे आमजन के दिल में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। व्यापारी खुद को सुरक्षित सहसूस कर रहे हैं। विधि-व्यवस्था की समस्या में काफी कमी आयी है। हालांकि यातायात की समस्या

अब भी बरकरार है। समारोह के दौरान उन्होंने जोनल आई.जी., एसएसपी व ट्रैफिक एस.पी. के समक्ष शहर की विधि-व्यवस्था एवं ट्रैफिक से जुड़ी कुछ समस्याओं की जानकारी दी।

गंभीरता से होगा विचार : जोनल आई.जी. और एसएसपी ने चैम्बर के सुझाव पर गंभीरता से होगा विचार करने की बात कही है। आई.जी. ने कहा कि शहर व्यापारिक गतिविधियों से ही बनता है। विशेष सेल पहले से ही काम कर रहा है। चौक-चौराहों पर पुलिस पिकेट खोले गए हैं। जहाँ आवश्यकता होगी, वहाँ भी खोल दिया जाएगा। इसके अलावा टाउन एस.पी. बी. के. चौधरी को हर पंद्रह दिन पर चैम्बर के सदस्यों के साथ बैठक करने को कहा है। उन्होंने अपराध नियंत्रण व जाम की समस्या पर जल्द काबू पाने का आश्वासन दिया है।

कंप्यूटराइज होगा पुलिस सहायता केंद्र : शहर के चौक-चौराहों पर बने 'मेर आई हेल्प यू' को कंप्यूटराइज करने की योजना है। एसएसपी ने कहा कि सभी सहायता केंद्रों को कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। किसी प्रकार की सूचना अथवा

शिकायत दर्ज करने के लिए पीड़ित को थाना जाने की जरूरत नहीं होगी। वह अपना आवेदन सहायता केंद्र में तैनात पुलिसकर्मी को दे सकेंगे और उन्हें वहाँ से पावती मिल जाएगी। उनके आवेदन पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। आवेदन स्वतः संबंधित थाने तक पहुंच जाएगा।

सम्मिलित होने वाले पुलिसकर्मी : इंस्पेक्टर रंजीत कुमार सिंह, विजय कुमार

चौरसिया, विजेंद्र कुमार शाही एवं संजय कुमार वर्मा, अवर निरीक्षक मनोज कुमार, रोहन कुमार, रंजीत कुमार, अमलेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार, निशिकांत निशि, अनिल कुमार, दिवाकर कुमार विश्वकर्मा (अनुपस्थित) एवं विनय कुमार तथा सिपाही दीनानाथ दिवाकर, सुनील कुमार शर्मा, कुमार गौरव, रणवीर कुमार शर्मा, शशिभूषण शर्मा, राकेश कुमार यादव, पंकज कुमार, राकेश कुमार एवं सत्यदेव प्रसाद शामिल हैं।

(साभार: दैनिक जागरण, 26.2.2014)

ट्रिपल 'बी' फोरम की दूसरी बैठक



ट्रिपल 'बी' फोरम में उपस्थित (दोनों से बांधे) क्रमशः श्री विजय कुमार गोयल, उप महाप्रबंधक, श्री सुब्रत साहू, महाप्रबंधक एस.बी.आई., श्री पी. के. अग्रवाल, चैम्बर अध्यक्ष, श्री राकेश शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक, श्री एन. आर. परमार, महाप्रबंधक, श्री शशि मोहन, उपाध्यक्ष, श्री ए. के. पी. सिन्हा, महामंत्री, श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉर्मर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की मेजबानी में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ गठित ट्रिपल 'बी' फोरम की दूसरी बैठक होटल मौर्या में दिनांक 21 फरवरी, 2014 को संध्या 7 बजे आयोजित हुई।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉर्मर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया।

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि ट्रिपल 'बी' के गठन से व्यवसायियों को बहुत सुविधा हो रही है एवं भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से व्यवसायियों को होने वाली समस्याओं पर बैंक द्वारा उचित कार्रवाई से बहुत लाभ हो रहा है। उन्होंने बैंक द्वारा शुरू किये गए Unhappy लिखकर SMS सुविधा के तहत मिले लाभ के कारण श्री मेंडिकल हॉल, भागलपुर द्वारा लिखे साभार पत्र का जिक्र करते हुए भारतीय स्टेट बैंक

ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक श्री राकेश शर्मा एवं बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को बधाई दी।

चैम्बर अध्यक्ष ने हाजीपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया में भारतीय स्टेट बैंक की एस०एम०८० शाखा को 31 मार्च से पहले शुरू करने के अनुरोध के साथ-साथ पश्चिमोत्तर बिहार वाणिज्य परिषद, छपरा द्वारा समर्पित सुझावों/समस्याओं के साथ अन्य विभिन्न समस्याओं को रखा और इस पर समुचित कार्रवाई का अनुरोध किया।

बैठक में चैम्बर के प्रतिनिधि के रूप में अध्यक्ष के अतिरिक्त चैम्बर उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन, उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा उपस्थित थे। फोरम की अगली बैठक अप्रैल 2014 में प्रस्तावित है।

उद्यमी-व्यवसायी आयोग जल्द

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने व्यवसायियों को आश्वस्त किया— जब तक हम हैं, किसी तरह की चिंता न करें।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार 23.2.2014 को एलान किया कि सरकार जल्द ही उद्यमी एवं व्यवसायी आयोग का गठन करेगी। यह आयोग उद्यमियों व व्यवसायियों की समस्याओं का अध्ययन कर सरकार को अपनी सिफारिशें सैंपेगा। कारोबारियों की बात सरकार तक पहुंचाएगा। साथ ही राज्य सरकार तैलिक समूह की जातियों को अतिपिछड़ा वर्ग में शामिल करने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने एस. के. मेमोरियल हाल में आयोजित भामाशाह स्मृति समारोह में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार कारोबारियों के साथ है।

मुख्यमंत्री ने व्यवसायियों की कई मांगों के संबंध में भी आश्वासन दिया। कहा, बैठक के इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के संबंध में तीन गुना पेनाल्टी के मामले में संशोधन की

मांग उनकी नोटिस में आई है। उन्होंने इस संबंध में विभाग के अधिकारियों को प्रस्ताव लाने को कहा है। इसी तरह वेट्स एंड मेजरमेंट को लेकर सत्यापन में केंद्र के कानून के तहत परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उनका निर्देश है कि कारोबारियों को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाए।

“नीतीश कुमार के आने से कारोबारियों को अमन-चैन मिला। हमारे लिए यह सबसे बड़ी चीज है।”

— पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉर्मर्स एण्ड इंडस्ट्रीज

“मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहारियों की अस्मिता को फिर से पहचान दी है। उद्यमी पंचायत से काफी फायदा हुआ है।” — ओ. पी. साह, समारोह संयोजक

“व्यापारियों को जो सम्मान व सुरक्षा मिला उसे भूलाया नहीं जा सकता।”

— पी. के. सिंह, अध्यक्ष, बिहार केमिस्ट एंड इंगिनियरिंग

“विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार में विकास होगा और बाजार मजबूत होगा। इसका फायदा व्यवसायियों को मिलेगा।”

— नवीन जायसवाल, अध्यक्ष, मिथिलांचल चैम्बर ऑफ कॉर्मर्स, मधुबनी

“व्यवसायियों को उत्पीड़न से मुक्ति मिली है। सरकार संवेदनशील रही है कारोबारियों के प्रति।” — बलराम प्रसाद, महामंत्री, बिहार राज्य खाद्यान्वय व्यापारी संघ

(साभार: हिन्दुस्तान, 24.2.2014)

पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक के साथ संवाद

- यात्रियों की सुविधा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता • पटना-दीघा रेल-सह-सड़क पुल मार्च, 2015 तक • एम०पी०फंड का उपयोग रेलवे सुविधा में • अन्य राज्यों की तरह बिहार में प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल विकसित करने हेतु उद्यमियों से आगे आने की अपील • पटना से प्रिमियम ट्रेन चलाने की योजना – महाप्रबंधक



सदस्यों को सम्बोधित करते महाप्रबंधक श्री मधुरेश कुमार। उनकी दाँयी ओर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री अनिल मित्तल।

उनकी बाँयी ओर क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन तथा महामंत्री श्री ए. के. पी. सिंह।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉर्मर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 11 मार्च 2014 को पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक श्री मधुरेश कुमार के साथ चैम्बर सदस्यों का एक संवाद का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर पूर्व मध्य रेल के कई वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने की।

चैम्बर की तरफ से चैम्बर अध्यक्ष ने महाप्रबंधक को एक ज्ञापन समर्पित किया जिसमें बिहार में रेलवे से संबंधित मुद्दे जिनमें लंबित रेल परियोजनाएं यथा- मढ़ौरा (छपरा) में डीजल लोको कारखाना • मधेपुरा में विजली लोको कारखाना • डालामियानगर में लोको शेड एवं मरम्मत कारखाने का विस्तार • जमालपुर में कारखाने का विस्तार • गड़हरा में डब्बा मरम्मती कारखाना • गरखा में रेल डब्बा पुनर्निर्माण कारखाना • दीघा-पहलेजा रेल-सह-सड़क पुल को पूरा करने के अतिरिक्त तीसरी रेल लाइन • नयी रेलवे लाइन तथा नये रेलवे स्टेशन • दीघा घाट रेलवे लाइन की जमीन का राज्य सरकार को हस्तांतरण • नयी ट्रेनों का परिचालन • गाड़ियों के फेरे में वृद्धि तथा विस्तार • पटना में मेट्रो तथा मोनो रेल के शीघ्र परिचालन हेतु व्यवस्था • घोषित नयी रेल लाइनों का शीघ्र क्रियान्वयन • नये रेक साइडिंग से संबंधित सुझाव • माल यातायात से संबंधित सुझाव • यात्री सुरक्षा एवं सुविधाओं से संबंधित सुझाव • टिकटों की स्पष्ट

छपाई का सुझाव • रेलवे हेल्प लाइन नम्बर 1322 को ECR में चालू करना आदि शामिल हैं। (महाप्रबंधक को समर्पित ज्ञापन चैम्बर कार्यालय में उपलब्ध है)

इस अवसर पर श्री पवन अग्रवाल, पश्चिमोत्तर बिहार वाणिज्य परिषद, छपरा ने कहा कि मजिस्ट्रेट चेकिंग के दौरान यात्रियों से पैसा लेकर रसीद नहीं दी जाती है, on spot रसीद देनी चाहिए।

श्री आलोक जैन, भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉर्मर्स, आरा ने आरा स्टेशन को विशेष स्टेशन का दर्जा दिये जाने, डिसप्ले बोर्ड की खारबी दूर करने एवं आरा में सीटी बुकिंग के और काउंटर खोलने का अनुरोध किया।

श्री टी० बी० एस० जैन, चेयरमैन, रेलवे उप-समिति ने राजेन्द्र नगर टर्मिनल में राजेन्द्र नगर की तरफ से प्रवेश मार्ग बनाने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त बिहार शरीफ से नवादा के बीच नयी रेल लाइन बनाने और पावापुरी स्टेशन बनाने तथा वैशाली को रेल लाइन से जोड़ने के लिए प्राथमिकता का अनुरोध किया।

श्री सुबोध जैन, को-चेयरमैन, रेलवे उप-समिति ने कहा कि ट्रेनों के आगमन एवं प्रस्थान का समय जो लॉग बुक में स्टेशनों पर दर्ज होता है, उसमें समय में अंतर रहने से यात्रियों को टिकट वापसी में होने वाली दिक्कत की ओर महाप्रबंधक का ध्यान दिलाया।

श्री सचिच्चदानन्द ने ट्रेनों में तेलचटट्या, चूहा एवं गंदे बेड रोल की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने सम्पूर्ण क्रांति एवं संघमित्रा जैसी लंबी दूरी की गाड़ियों की दुर्दशा पर मुख्य रूप से रेलवे अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया। इसके अतिरिक्त भी सदस्यों ने कई सुझाव दिये एवं समस्याएं बताईं।

महाप्रबंधक श्री मधुरेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि बरौनी-समस्तीपुर रेलखंड पर विद्युतीकरण का काम तेजी से चल रहा है। अप्रैल, 2014 तक यह कार्य पूरा हो जाएगा। पटना जंक्शन में पार्किंग की समस्या के समाधान हेतु करबिगहिया में पार्किंग का विस्तार किया गया है। अब राजेन्द्र नगर में भी खाली पड़ी जमीन का विस्तार किया जाएगा।

श्री कुमार ने कहा कि रेलवे अपने संसाधनों के उपयोग और विकास पर काफी जोर दे रहा है। दीघा रेल पुल के निर्माण में धन और जमीन संबंधी बाधा को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। मार्च 2015 तक यह कार्य पूर्ण होने की पूरी संभावना है। इसकी लम्बाई 4.65 कि.मी. होगी। मुंगेर में निर्मित हो रहे रेल-सह-रोड पुल भी अगले वर्ष तक पूरा होने की उम्मीद है। गंडक नदी पर भी रेल पुल बनाया जा रहा है। आमान परिवर्तन करने से सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर की दूरी घट गयी है।

उन्होंने आगे कहा कि बरौनी में डिजल इंजन मेंटेनेंस और हरनौत में रेल डब्बा मेंटेनेंस का कारखाना तथा समस्तीपुर लोको शेड का विस्तार भी हो रहा है। वातानुकूलीत कोच के मेंटेनेंस की व्यवस्था हो रही है। श्री कुमार ने कहा कि यात्रियों को सुविधा एवं सुरक्षा उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। ट्रेनों की देरी से चलने की बात पर उन्होंने कहा कि पूर्व मध्य रेल खण्ड पर करीब 300 ट्रेनें चलती हैं जिसमें कुछ ही ट्रेनें विलम्ब से चलती हैं। इस समस्या के निदान हेतु लगातार मानिस्टरिंग हो रही है।

उन्होंने सदस्यों से कहा कि जो लोग मेंटेनेंस की व्यवस्था लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, उन्हें नियमानुसार सुविधा दी जाएगी। पी०पी०पी० मॉडल के आधार पर भी मेंटेनेंस का कार्य होगा। सदस्यों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ट्रेनों के ठहराव बढ़ाने से ट्रेनों की गति घटती है। टिकट बिक्री के आधार पर ट्रेनों का स्टॉपेज दिया जाता है। जे.टी.बी.एस. की तर्ज पर यात्रियों की सुविधा हेतु छोटे स्टेशनों पर एस.टी.बी.एस. योजना का प्रारंभ किया जा रहा है जिससे छोटे स्टेशनों पर कोई व्यक्ति अपना टिकट काउंटर खोल सकेंगे। इसके लिए रेलवे एवं उस व्यक्ति के बीच एग्रिमेंट आवश्यक होगा।

महाप्रबंधक ने कहा कि नयी योजना के तहत अब सांसदों के फंड का उपयोग रेलवे यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए भी किया जाएगा। उस फंड से प्लेटफार्म व स्टेशनों पर पेयजल, शौचालय, सेल्टर, पंखा आदि लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यात्रियों को टिकट आसानी से उपलब्ध हो इसलिए इंटरनेट के साथ-साथ एस.एम.एस. द्वारा भी टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है जिससे आरक्षण केन्द्रों में भीड़-भाड़ में कमी आएगी।

श्री कुमार ने पी.पी.पी. मॉडल पर देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल विकसित करने में उद्यमियों से आगे आने की अपील की। उद्यमियों ने रेल लाइनों के किनारे निजी जमीन के बड़े भूभाग की अनुपलब्धता की बात करते हुए रेलवे से जमीन मुहैया कराने का अनुरोध किया। परन्तु रेलवे के अन्य अधिकारियों ने नियमों का तकाजा देते हुए इसे खारिज कर दिया। श्री कुमार ने जानकारी दी कि पटना से दो प्रिमियम ट्रेनें चलाने की योजना पर काम हो रहा है।

संवाद कार्यक्रम में पूर्व मध्य रेल के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण/दक्षिण) श्री एल० एम० झा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण/उत्तर) श्री अनिल मित्तल, मुख्य वाणिज्य प्रबंधक श्री महबूब रब, मुख्य परिचालन प्रबंधक श्री दीपक नाथ, मुख्य जन संपर्क अधिकारी श्री अमिताभ प्रभाकर सहित कई वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर चैम्पर के पूर्व अध्यक्ष श्री डी० पी० लोहिया एवं श्री मोती लाल खेतान, उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा के अतिरिक्त कई संगठनों के प्रतिनिधि, चैम्पर के सदस्य तथा मीडिया बंधु काफी संख्या में उपस्थित थे। महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक सम्पन्न हुई।

एसएमई के पूँजीगत अनुदान में इजाफा

बिहार सरकार ने अपनी उद्योग नीति के तहत छोटे और मझोले उद्योगों (एसएमई) के लिए पूँजीगत अनुदान (कैपिटल सब्सिडी) में इजाफा करने का फैसला लिया है। इसके तहत अब राज्य सरकार ऐसे उद्योगों को अधिकारित 2 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में देगी। पहले इसके तहत उद्योगों को महज 75 लाख रुपये ही पूँजीगत अनुदान के मद में मिल सकते थे।

राज्य सरकार के उद्योग विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ऐसा भारत सरकार के एसएमई क्षेत्र में निवेश की सीमा बढ़ाने के मद्देनजर लिए गया है।

(विस्तृत- बिजनेस स्टैंडर्ड, 27.2.2014)

बीमार उद्योग होंगे चालू, सरकार देगी ढाई करोड़ तक की मदद

• बकाया बिजली बिल और टैक्स होंगे माफ, विभाग बना रहा प्रस्ताव

• उन्हीं उद्योगों को मदद की जाएगी, जो पुनर्जीवन के काबिल होंगे

प्रदेश के बीमार उद्योगों को चालू करने के लिए राज्य सरकार आर्थिक मदद देगी। एक उद्योग को अधिकतम ढाई करोड़ रुपए तक तक दिए जाएंगे। यह राशि कर्ज के रूप में कंपनी को मिलेगी, जिसे वे आसान किश्तों में लौटा सकते हैं। इतना ही नहीं अगर उस कंपनी पर बिजली बिल या कोई टैक्स राज्य सरकार के विभागों का बकाया हो, तो उसे भी माफ किया जाएगा।

यह मदद उन्हीं उद्योगों को दी जाएगी, जिनके पुनर्जीवित होने की संभावना हो। ऐसे कंपनी की पहचान के लिए परामर्शी के रूप में बड़ी एजेंसी को एक माह के अंदर नियुक्त कर लिया जाएगा। राज्य में उद्योगों के विकास की यह पहल है। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रथम चरण में प्रावधान किया जा रहा है। इसका 'चक्रीय निधि' नाम रखा गया है। उद्योग विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। कैबिनेट की स्वीकृति के लिए इसे भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।

(विस्तृत- दैनिक भास्कर, 4.3.2014)

हर व्यापारी को देना होगा अपना मोबाइल नंबर

बाहर से सामान मंगवाने वालों के लिए अनिवार्य • मोबाइल नंबर देने के बाद ही जारी किया जाएगा रोड परमिट

राज्य के सभी रजिस्टर्ड व्यापारियों को वाणिज्य कर विभाग में मोबाइल नंबर देना होगा। इसके बिना व्यापारी कारोबार नहीं कर सकेंगे। खासकर वैसे व्यापारी जो बाहर से सामान मंगवाते हैं। उनके लिए तो यह बिल्कुल अनिवार्य है।

विभाग के अनुसार मोबाइल नंबर नहीं देने पर अब व्यापारियों को रोड परमिट (सुविधा) जारी नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था उन व्यापारियों पर भी लागू होगी, जिन्होंने एक-दो साल या उससे पहले ही रजिस्ट्रेशन कराया है।

रोड परमिट लेने के लिए एक ऑनलाइन प्रपत्र भरना होगा। इसमें मोबाइल नंबर समेत कई जानकारी देनी होगी। उसके बाद अंचल प्रभारी जांच करेंगे कि व्यापारी ने पहले रोड परमिट का इस्तेमाल किया है या नहीं। उसके पास पहले के टैक्स व रिटर्न बकाया है या नहीं। इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही व्यापारी को रोड परमिट मिलेगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 1.3.2014)

नहीं लगेगा बिजली का प्रीमियम करंत

बिजली दर में प्रस्तावित बढ़ोतरी की खबरों पर ब्रेक लग गया है। पटना समेत पूरे राज्य में 6.50 रुपए के फ्लैट रेट लागू करने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। साथ ही हर महीने मीटर रेट देने की खिच्चिखिच भी नहीं होगी। इसके अलावा घर खाली रहने पर भी बिजली बिल नहीं भरना पड़ेगा।

बिहार विद्युत विनियमक आयोग ने बिहार स्टेट पॉलिंग कंपनी के बिजली टैरिफ के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। आयोग के फैसले ने राजधानीवासियों को राहत ही है।

पटना के लिए दूसरी बड़ी खबर यह है कि चौबीसों घंटे बिजली मिलने की स्थिति में भी प्रीमियम चार्ज नहीं देना पड़ेगा। पटना साहित कई शहरों में 24 घंटे बिलजी देने पर मूल बिजली दर से दस फीसदी अधिक बसूलने की तैयारी थी। बिजली कंपनी के प्रस्ताव को इस तर्क के साथ वापस लिया गया कि अब बिजली की उपलब्धता बढ़ी है। इसलिए दस फीसदी प्रीमियम बसूलने की जरूरत नहीं है। राज्य में फिलहाल बिजली की उपलब्धता 2300-2400 मेगावाट तक है। तीन साल पहले बिजली की उपलब्धता 1300-1400 मेगावाट तक की ही थी। उस समय पटना में 24 घंटे बिजली सप्लाई संभव नहीं था।

घर खाली रहने पर मासिक चार्ज नहीं : अब घर के खाली रहने पर मंथली मिनिमम चार्ज (एमएमसी) नहीं देना पड़ेगा। अब तक लोगों को खाली घर के लिए भी एक किलोवाट के लोड पर कम से कम 40 यूनिट बिजली का बिल भरना पड़ता था। बिजली कंपनी ने एक किलोवाट के भार पर 150 यूनिट और उससे अधिक लोड पर अतिरिक्त 50

यूनिट का बिजली बिल भरने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन आयोग ने मौजूदा चार्ज को ही खत्म कर दिया है।

एक ही बार दीजिए मीटर रेंट : उपभोक्ताओं को अब हर महीने मीटर रेंट नहीं देना पड़ेगा। अगर वे चाहें, तो मीटर के लिए एक ही बार में पूरा भुगतान कर सकते हैं। फिलहाल हर माह सिंगल फेज के मीटर के रेंट 20 रुपए तो तीन फेज के लिए 50 रुपए देना पड़ता है। पर अब उपभोक्ता मीटर का पूरा भुगतान एक ही बार में कर सकते हैं। अब तक उपभोक्ताओं से 400-500 रुपए के मीटर के लिए हजारों-लाखों रुपए वसूल लिए जाते रहे हैं।

मौजूदा टैरिफ 2.85 रुपए का है : मिनिमम मंथली चार्ज (एमएमसी) के अनुसार अगर एक किलोवाट का कनेक्शन हो तो मौजूदा टैरिफ के अनुसार 2.85 रुपए के अनुसार 114 रुपए चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा मीटर रेंट में 20 रुपए, फिसड चार्ज 55 रुपए, थ्री फेज कनेक्शन में 50 रुपए, प्रति यूनिट के खपत में छह प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ली जाती है। औसतन एक किलोवाट में 200 रुपए बिजली बिल होता है।

विद्युत दरों में वृद्धि नहीं होने से व्यवसायी खुश : बिजली दरों में वृद्धि नहीं किए जाने से व्यवसायी तबका गदगद है। बिहार चैबर ऑफ कॉर्मस ने विद्युत विनियामक आयोग के इस फैसले पर खुशी जताई है। अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां बिजली दरों को समय से पहले प्रकाशित कर दिया है। मिनिमम मंथली चार्ज खत्म करना, प्रीमियम चार्ज का प्रावधान समाप्त करना, मीटर रेंट के लिए एकमुश्त भुगतान की सुविधा देने पर खुशी जताई गई है।

(साभार- हिन्दुस्तान, 1.3.2014)

बिना रेट बढ़े देना होगा ज्यादा बिजली बिल

एक अप्रैल के बाद बिजली उपभोक्ताओं को फ्लूल सरचार्ज (ईंधन अधिभार) के रूप में हर महीने अधिक बिजली बिल देने के लिए तैयार रहना होगा। टैरिफ में कोई बदलाव नहीं करने वाली रेगुलेटरी कमिशन ने बिजली कंपनी को फ्लूल सरचार्ज लगाने का अधिकार दिया है। लोगों से हर माह कितना सरचार्ज वसूला जाए, यह रेगुलेटरी कमिशन तय करेगा।

कितना बढ़ सकता है बोझ : बिजली उत्पादक कंपनी जितनी अधिक राशि ईंधन के रूप में अतिरिक्त मांगेगी, उसके अनुसार कंपनी उपभोक्ताओं से फ्लूल सरचार्ज वसूलने का दावा रेगुलेटरी कमिशन में करेगा। कमिशन तय करेगा कि प्रति यूनिट कितने पैसे या रुपए की वसूली की जाए। बीते वर्षों में फ्लूल सरचार्ज की हुई वसूली को देखें तो उपभोक्ताओं से पांच पैसे से लेकर सवा रुपए प्रति यूनिट तक की वसूली हुई थी।

क्या है फ्लूल सरचार्ज : बिजली खरीदारी में हर महीने फिक्स रेट के अनुसार पैसे का भुगतान किया जाता है लेकिन कोयले के दाम में वृद्धि या उत्पादन लागत बढ़ने के कारण बिजली उत्पादक कंपनियों द्वारा कभी-कभी अधिक राशि की मांग की जाती है। वर्ष 2011-12 व 2012-13 में पूर्ववर्ती बिजली बोर्ड को अधिक पैसे भुगतान करने पड़े थे। उस वर्ष इस अंतरराशि का भुगतान करने के लिए बिजली बोर्ड ने लोगों से हर महीने फ्लूल सरचार्ज की वसूली की थी। इस वर्ष कंपनी ने टैरिफ पिटिशन देते समय रेगुलेटरी कमिशन से फ्लूल सरचार्ज वसूलने का अधिकार देने की मांग की थी। पूरी सुनवाई के बाद कमिशन ने बिजली कंपनी की याचिका को स्वीकार किया। एक शर्त यह भी जोड़ी गई है कि फ्लूल सरचार्ज के रूप में लोगों से कितने पैसे की वसूली हो, यह रेगुलेटरी कमिशन ही तय करेगा।

पहले राहत अब आफत : बिजली कंपनियों के रखैये से राजधानी के उपभोक्ता परेशान हैं। पहले कंपनियों ने बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया। भारी विरोध के बाद विद्युत नियामक आयोग ने इसे खारिज किया, तो राहत मिली। मगर सरचार्ज से लोग एक बार फिर मंहगी बिजली का बोझ उठाने को मजबूर होंगे।

“बिजली कंपनी उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट फ्लूल सरचार्ज की राशि वसूल सकती है। कंपनी की ओर से किए जाने वाले दावों की जांच के बाद तय होगा कि हर महीने फ्लूल सरचार्ज उपभोक्ताओं पर कितना लगे।”

-उमेश नारायण पंजियार, अध्यक्ष, बिहार विद्युत विनियामक आयोग

(साभार- हिन्दुस्तान, 3.3.2014)

चाहे जितनी बिजली खर्च करें, नहीं होगी जांच

कनेक्शन में तय लोड से अधिक बिजली खर्च करने के बाद भी आप जुर्माने की टेंशन से मुक्त हो सकते हैं। महज कुछ रुपए मासिक चार्ज बढ़ाने से बिजली विभाग आपके जहां जांच नहीं करेगा। सिंगल फैज उपभोक्ता वैकल्पिक मांग आधारित टैरिफ (डिमांड बेस्ड) की श्रेणी में आकर अपने घर में मनचाहा विद्युत उपकरण रख सकते हैं। यह सुविधा एक अप्रैल से उपलब्ध होगी। सिंगल फैल का कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए विभाग ने चार लाख नये मीटर की खरीद का आदेश दिया है। इसमें बढ़े हुए लोड से संबंधित सूचनाएं दर्ज होंगी।

“वैकल्पिक मांग आधारित टैरिफ से उपभोक्ताओं पर अधिक आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के घर में लोड जांच अभियंता नहीं करेंगे स्वीकृत भार से अधिक लोड उपयोग होने पर मीटर इंगित कर देगा।”

- एस. सी. झा, सदस्य, बिहार विद्युत विनियामक आयोग

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 4.3.2014)

हर साल एक हजार शारखाएं

राज्य की पांच हजार पंचायतों में किसी भी बैंक की शाखा नहीं है। यह चिंता का विषय है। अगले पांच साल में इन पंचायतों में बैंक शाखा खुले। इसकी कार्योजना तैयार करें। हर वर्ष एक हजार शाखा खुले। राज्य सरकार जगह देने को तैयार है। पंचायत सरकार भवन बन रहे हैं। उसमें बैंक की शाखाएं काम कर सकती हैं। जिन बैंककर्मियों का परफॉरमेंस खराब है, उन्हें निर्लंबित करना चाहिए। ये बातें मुख्य सचिव अशोक कुमार सिंह ने राज्यस्तीय बैंकर्स समिति की बैठक में कहीं। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए राहत की बात है कि पहली बार सीडी रेशियो 40 प्रतिशत पर पहुंचा है। हालांकि सारण व सीवन जिले में स्थिति खराब है। जबकि इन्हीं दोनों जिलों में बाहर से ज्यादा पैसा आता है। एक दर्जन से अधिक बैंकों का परफॉरमेंस खराब है। इसके खिलाफ केंद्रीय वित्त मंत्रालय से शिकायत की जायेगी।

इन बैंकों का प्रदर्शन खराब : लक्ष्य प्राप्ति में जो बैंक पीछे रहे हैं, उनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉर्मस, विजया बैंक, आइडीबीआइ बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, आइसीआइसीआइ बैंक, फेडरल बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, साउथ इंडियन बैंक, वैश्य बैंक, बिहार राज्य सहकारिता व कर्नाटक बैंक हैं। जिन बैंकों का सीडी रेशियो 25 प्रतिशत से कम है, उसमें आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक, विजया बैंक, साउथ इंडियन बैंक व वैश्य बैंक हैं।

उद्यमियों को नहीं मिल रहा सहयोग : उद्यमी व बेरोजगार युवकों को रोजगार सूचन के लिए ऋण देने में बैंकों के असहयोगात्मक रूपये पर चर्चा हुई। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव नवीन कुमार वर्मा ने कहा कि मात्र 28 प्रतिशत ही उपलब्ध हासिल हुई है। बेरोजगारों से ऋण के एवज में रिश्वत व कागज के नाम पर तंग किया जा रहा है। बैंक में वरीय अधिकारी स्वयं न आ कर कनीय अधिकरियों को भेज देते हैं। परिणाम यह होता है कि बैंक तार्किक नतीजे पर नहीं पहुंच पाती है। रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने भी बैंकों के कामकाज पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की शाखा खोलने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अधिक लोगों को बैंकिंग सुविधा मिले, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। यह विचार करना होगा कि आखिर सीडी अनुपात के मामले में बिहार पीछे क्यों है।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 1.3.2014)

जनवरी तक बदल सकेंगे पुराने नोट

वर्ष 2005 से पहले के पहले के पुराने बैंक नोटों को बदलने की अवधि को बढ़ाकर एक जनवरी 2015 कर दी गई है। पहले यह तिथि 30 जून 2014 थी। रिजर्व बैंक ने कहा कि आम लोगों को होने वाली असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तिथि बढ़ाई गई है।

यानी जनवरी 2015 तक पांच सौ और एक हजार मूल्य के नोट बदलने के लिए ग्राहकों को पहचान पत्र दिखाना पड़ता। हालांकि रिजर्व बैंक ने पहले स्पष्टीकरण दिया था कि एक जुलाई के बाद भी पांच सौ और एक हजार मूल्य के नोट बदले जाएंगे, लेकिन 10 से अधिक नोटों को बदलने के लिए ग्राहकों को अपना पहचान पत्र दिखाना पड़ता।

(साभार: दैनिक भास्कर, 4.3.2014)

डीलरों को गुइस एंड सर्विस टैक्स देना होगा आसान

व्यवसायी व डीलरों को गुइस एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) देना आसान होगा। वैट से बेहद मिलते जुलते फॉरमेट के आधार पर डीलर सरकार को टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए व्यवसायियों को टीन के साथ पैन लेना आवश्यक होगा। जीएसटी नेटवर्क ने इसके साथ ही जुलाई से राज्यों को कॉमर्शियल टैक्स का आंकड़ा गुइस एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के पेटर्न पर केंद्र को देना आवश्यक कर दिया है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा विहार सरकार के सहयोग से पतना में एक दिवसीय प्री जीएसटी एक्टिविटीज एंड रिव्यू ऑफ एमपीपी-सीटी प्रोजेक्ट पर बैठक हुई। होटल मौर्या में हुई इस बैठक में विहार, झारखण्ड, पं बंगाल, ओडिशा व उत्तर प्रदेश के अधिकारी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जीएसटी के चेयरमैन व पूर्व वरिष्ठ आइएसस अधिकारी नवीन कुमार ने कहा कि जीएसटी लागू करने से पूर्व जीएसटी कमेटी द्वारा तमाम सुविधाएं राज्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने के साथ ही प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए राज्यों को वैट व टैक्स वसूली की प्रक्रिया (फॉरमेट) में संशोधन भी करना होगा। (विस्तृत : हिन्दुस्तान, 1.3.2014)

टिकट कन्फर्म हुआ तो आएगा एसएमएस

वेटिंग टिकट कन्फर्म होने पर एसएमएस से सूचना मिलेगी। चार्ट बनने पर कोच और सीट नंबर की जानकारी भी मिलेगी। यह निशुल्क सुविधा यात्रा से पांच दिन पहले एक्टिवेट होगी।

रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी ने इस सेवा की शुरुआत की। इसके लिए टिकट लेते समय यात्रियों को फार्म में मोबाइल नंबर भरना होगा। अगर फार्म में मोबाइल नंबर नहीं होगा तो यह सेवा उन्हें मिल पाएगी। पांच दिन पहले टिकट वेटिंग से जैसे ही आरएसी आता है, एसएमएस मिलेगा। आरएसी से कन्फर्म होते ही फिर एसएमएस आएगा। गाड़ी छूटने के तीन घंटे पहले चार्ट में सीट और कोच नंबर मिलते ही फिर एसएमएस आएगा। कन्फर्म टिकट पर यदि श्रेणी अपगेड की जाती है तो इसकी भी जानकारी एसएमएस पर मिलेगी। (साभार : दैनिक भास्कर, 4.3.2014)

No one knows where to complain

ईसीआर और दानापुर डिविजन ने जारी किया है दर्जनों टोल फ्री नंबर लेकिन जानकारी के अभाव में पैरोंजर्स नहीं उठा पाते हैं लाभ

FOR YOUR HELP

ये हैं टोल फ्री नंबर : • महिला पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए : 097714225718 (ईसीआर से जारी) • चोरी, डकैती भ्रष्टाचार की कंप्लेन : 9771449721 • सिक्योरिटी कंप्लेन के लिए : 0612-240001 • आरपीएफ से हेल्प और खान-पान संबंधी कंप्लेन : 1800111321 • पटना जंक्शन इंक्वायरी 0612- 2222197

(Source: I next, 26.2.2014)

आनंद विहार जैसा होगा राजेंद्रनगर टर्मिनल

नई दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल की तरह डेवलप होगा पटना का राजेंद्र नगर टर्मिनल। इसे मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने की तैयारी है। फिलहाल दो एसकेलेटर लगेगा और टर्मिनल के बाहर की खाली जमीन में सेकेंड पार्किंग जोन बनेगा। रेलवे सूत्रों के मुताबिक इन योजनाओं का प्रोजेक्ट स्वीकृत है। जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा भी होगी। इसके अलावा प्री पेड टैक्सी व ऑटो सेवा के साथ प्लेटफॉर्म पर फुड प्लाजा समेत कई सुविधाओं की शुरुआत होगी। (विस्तृत : दैनिक जागरण, 22.2.2014)

फोन बुकिंग में दिक्कत तो करें शिकायत

एलपीजी ग्राहक आईवीआरएस से गैस की ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं, तो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ-साथ एजेंसी के लैंड लाइन फोन से भी गैस बुक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एवं भारत पेट्रोलियम ने कहा है कि सभी एजेंसियों में ऑनलाइन बुकिंग सुविधा है। इसके लिए ग्राहकों को एजेंसी में अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अगर कोई एजेंसी बुकिंग करने से इंकार करता है तो ग्राहक इसकी शिकायत सीधे तेल कंपनी के कार्यालय में कर सकता है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 18.2.2014)

अब नसिंग होम का कराना होगा रजिस्ट्रेशन

सरकार ने क्लीनिकल स्टेब्लिसमेंट एक्ट लागू कर दिया है। इसके तहत अब यदि किसी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में इलाज के अभाव में मरीज की मौत होगी, तो संबंधित डॉक्टर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग नए एक्ट के आलोक में क्लीनिक, नसिंग होम, पैथोलॉजी सेंटर आदि का पंजीकरण कराने की तैयारी कर रहा है। (विस्तृत : हिन्दुस्तान, 18.2.2014)

कब्जे के बाद भी फ्लैट दे सकता है सिरदर्द

अगर आप यह सोचते हैं कि बुकिंग कराया फ्लैट या खरीदे घर का कब्जा मिलने के बाद अब कोई सिरदर्द या परेशानी नहीं है तो एक बार फिर से सोच लीजिए। निश्चित तौर पर आपने चेकलिस्ट में वैध और सही प्रोजेक्ट चुना होगा। सही स्थान का चुनाव, सामाजिक संरचना और खरीदारी के बक्त सभी कागजातों की भी जांच पड़ाता और फ्लैट या घर का रजिस्ट्रेशन भी कराया होगा। लेकिन अब कुछ और भी बातें हैं जिसका खयाल आपको घर का कब्जा मिलने के बाद रखना होता है। आइए नजर डालते हैं उन छोटी बातों पर जो बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती हैं। (विस्तृत : हिन्दुस्तान, 18.1.2014)

प्रोपर्टी ट्रांसफर होगा महंगा

एक बार फिर जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री महंगी हो सकती है। सर्किल के साथ ही वसीयत दरों में इजाफा के संकेत मिल रहे हैं। यही नहीं, इनमें आइ फीस (ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी) के फिर से रिवाइज किये जाने की बात है। वही भी तब, वही पिछले साल ही इसमें जबरदस्त इजाफा दिया गया था। पिछले साल आइ फीस को 175 से बढ़ा कर 5025 रुपये कर दिया गया था। हालांकि, वसीयतनामा से लेकर विलंब शुल्क तक में उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ातरी की गयी थी। लेकिन, आइ फीस की दर को लेकर एक बार रिवाइज होने की बात चल रही है। इसमें 20 प्रतिशत तक बढ़ाने की चर्चा है। इतनी जल्दी आइ फीस में वृद्धि किये जाने की चर्चा से आवेदक परेशान हैं और वे अभी से ही जिला निवंधन कार्यालय में इसकी जानकारी ले रहे हैं।

शुल्क पर एक नजर

दस्तावेज	वर्तमान दर	पुरानी
वसीयतनामा	2000	400
पार्टनशिप डीड	1000	250
डेवलपमेंट एग्रीमेंट	2000-100000	250
गोदानामा डीड	2000	250
पावर ऑफ अटॉर्नी	1000	250
आइ फी	5025	175
कमीशन फी	5000	750
विलंब शुल्क	100	5

(नोट : दर रुपये में और वर्तमान दर मई, 2013 में बढ़ायी गयी थी)

(विस्तृत : प्रभात खबर, 4.3.2014)

पीएफ राशि निकालने में भी कैंसल्ड चेक जरूरी

बैंक या अन्य माध्यमों से होने वाले लेन-देन में कैंसल्ड चेक (रद्द किया हुआ चेक) का अपना महत्व है। लेकिन नाम से कैंसल्ड यह चेक स्वयं में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ लिए होता है। यह एक तरह से आपके बैंक ग्राहक होने का प्रमाण भी दर्शाता है।

कैंसल्ड चेक के मायने-कहां-कहां है इस्तेमाल : • लोन की मासिक किस्त के लिए • इलेक्ट्रॉनिक बिलयरेस सर्विस (ईसीएस) • भविष्य निधि (पीएफ) की राशि • बीमा पॉलिसी खरीदते समय • केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) • डीमैट अकाउंट खोलने में। (विस्तृत : हिन्दुस्तान, 15.2.2014)

राज्य के लोगों को देना होगा अग्निशमन टैक्स

सरकार राज्य में अग्निशमन टैक्स लगाएगी। यह प्रावधान अग्निशमन सेवा विधेयक, 2014 में किया गया है। विधेयक की धारा 20 के मुताबिक इस कर की वसूली की जाएगी। इसकी दर अभी निर्धारित नहीं की गई है। इसके लिए गजट में अधिसूचना जारी होगी। (विस्तृत : हिन्दुस्तान, 22.2.2014)

चैम्बर में होली मिलन समारोह का आयोजन



होली मिलन समारोह में आनंद उठाते चैम्बर के पदाधिकारीगण, सदस्यगण एवं अतिथिगण

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 15 मार्च 2013 को “होली मिलन समारोह” धूमधाम से संपन्न हुआ।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने कहा कि इस समारोह का मुख्य उद्देश्य आपसी भाईचारा को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज आपसी भाईचारा एवं सौहार्द का प्रतीक होली के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष होली मिलन समारोह का आयोजन कर आपसी मेल-जोल को बढ़ावा देता है।

उन्होंने कहा कि चैम्बर परिवार के सदस्य सपरिवार इस समारोह में सम्मिलित होकर एक दूसरे को रंग-अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही इस समारोह में चैम्बर परिवार के उत्साहवर्धन हेतु माननीय विधायक, केन्द्र एवं राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारियों, विभिन्न बैंकों के वरीय पदाधिकारियों के साथ-साथ शहर के अन्य गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित हुए।

चैम्बर अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने कहा कि होली मिलन समारोह में आगन्तुकों के लिए पारंपरिक व्यंजनों के साथ-साथ उनके मनोरंजन हेतु जयपुर, राजस्थान के सुविष्यात श्री रशीद खान एवं उनके ग्रुप को बुलाया गया था जो अपने पारंपरिक गीतों से श्रोताओं को मन्त्र मुग्ध कर दिया।

चैम्बर अध्यक्ष ने सभी अतिथियों को रंग-गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। समारोह में चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री शशि मोहन,

कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा, पूर्व अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, श्री डी० पी० लोहिया एवं चैम्बर के वरीय सदस्य श्री अमर कुमार अग्रवाल, श्री सावल राम ड्वारिलिया के साथ-साथ बड़ी संख्या में उद्यमी एवं व्यवसायी सपरिवार सम्मिलित हुए।

निम्नांकित की विस्तृत जानकारी हेतु चैम्बर से संपर्क करें

- अपील में नये सबूत कैसे पेश करें • आवासीय मकान खरीदें : पूँजीगत लाभ पर छूट प्राप्त करें • रिवर्स मोर्टगेज : विरिष्ट नागरिकों के लिए वरदान • गिफ्ट द्वारा कर नियोजन
- क्या करें : जब खो जाये जरूरी दस्तावेज। (साभार : टैक्स परिका : फरवरी, 2014)

अत्यावश्यक सूचना

उद्योग विभाग, बिहार सरकार ने अधिसूचना ज्ञापांक 455 दिनांक 7-02-2014 के द्वारा बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष को सुक्ष्म एवं लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉन्सिल का सदस्य नामित किया है।

रेलवे सफल में मुसीबत पर डायल करें 1322

चलती ट्रेनों में होने वाली छेड़छाड़, लूटपाट या अन्य आपराधिक वारदातों व अन्य समस्याओं के लिए अब आपको शिकायत करने के लिए अगले स्टेशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब यात्रियों को हेल्पलाइन नंबर 1322 पर शिकायत करनी होगी और उनको तुरंत मदद मिलेगी। (विस्तृत : प्रभात खबर 28.02.2014)

EDITORIAL BOARD

Ramchandra Prasad

Chairman

Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher

A. K. Dubey

Asst. Secretary

Editor

A. K. P. Sinha

Secretary General

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505

E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org